

30-4-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/वर्क कर रखने
से पत्रावली दिनांक 1.8.21 को पेश हो।

12-5-21

उपरोक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी सम्बन्धीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/6/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/वर्क कर रखने
से पत्रावली दिनांक 30-9-21 को पेश हो।

22-10-21

पूजावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के
चांदरास में पेश हुई, पत्रावली परदार हल्का
चांदरास द्वारा रिवाज प्राप्त हुई जिले शाह
पत्र लिखा गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार
लिखा जाकर निर्णय हणक से लिखा जाकर
शाह पत्र लिखा गया। पूजावली फलत शुभार
होकर नम्बर सै कम ही।

डॉ. पूजा सकसेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रयास गांवों के संग अभियान 2021



याचालय
पीठासीन अ
मा मंथ्या :-
पी -
पी -
प्रार्थी क
न किय
/संयुक्त
पी -
यिवा
पुक्त ख
प्रस
नांक-
कारि
है तय
प्रान
वार
म
थर
पये
मि
न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 14/21 प्रा-पत्र

श्री-चांदमल जल-श्री-धवना बलार निवासी-चांदरास तहसील-मांडल
--प्रार्थी

बनाम

1- श्री-शंकर लाल जल-श्री-हजारी बलार निवासी-चांदरास तहसील-मांडल
--विपक्षीगण
(संबंधित प्र-पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 22-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....चांदरास.....पटवार हल्का.....चांदरास तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....545.....कुल किता01.....रकबा.....0-1644 हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....22-1-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....चांदरास.....पटवार हल्का.....चांदरास.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....545.....कुल किता01.....रकबा.....0-1644 हेक्टेयर.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....चांदरास.....को400/-.....रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बेन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा 021

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की आकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021